

राजस्थान सरकार
श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

क्रमांक : एफ.1(2)/412/स्था./का.बा/2021

जयपुर, दिनांक

08 AUG 2022

Estt.
10-8-22

आदेश

राजस्थान सर्विस ऑफ इन्स्पेक्टर ऑफ फ़ैक्ट्रीज एण्ड बॉयलर्स एवं इन्स्पेक्टर ऑफ फ़ैक्ट्रीज (केमिकल) रूल्स-1958 के नियम 23(2) के अन्तर्गत दिनांक 28.07.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अभिशंषा पर कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग के निम्न उप मुख्य निरीक्षकों को मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध योग्यता के आधार पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

1. श्री जानकीराम गौतम वर्ष 2021-22 (दिनांक 01.01.2022 से)
(सेवानिवृति दिनांक 31.07.2022)
2. श्री डाया लाल डामोर (एसटी) वर्ष 2022-23 (दिनांक 01.08.2022 से)

श्री डाया लाल डामोर को पदोन्नति उपरान्त मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग, राजस्थान, जयपुर के पद पर तुरन्त प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से



(बृज गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4 मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय मार्फत मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 7 रक्षित पत्रावली।



वरिष्ठ शासन उप सचिव